

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette
सत्यमेव जयते

एस.जी.-डी.एल.-अ.-13032023-244336
SG-DL-E-13032023-244336असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 85]	दिल्ली, सोमवार, मार्च 13, 2023/फाल्गुन 22, 1944	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 530
No. 85]	DELHI, MONDAY, MARCH 13, 2023/PHALGUNA 22, 1944	[N. C. T. D. No. 530

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

शिक्षा निदेशालय: पुराना सचिवालय: दिल्ली

अधिसूचना

दिल्ली, 13 मार्च, 2023

सं. एफ. 4(354)/जीओसी/ईडीएन./2014/3146-3155.—दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम, 1973 (1973 का 18) की धारा 11 की उपधारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल को यह स्वीकृति देते हुए प्रसन्नता हो रही है कि प्रधान सचिव (कानून), न्याय और विधायी कार्य) पीठासीन अधिकारी दिल्ली स्कूल ट्रिब्यूनल का प्रभार देखेंगे, जब तक नियमित पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति नहीं हो जाती।

जब भी दिल्ली स्कूल ट्रिब्यूनल में पीठासीन अधिकारी की रिक्ति होगी तो यह व्यवस्था मान्य होगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल
के आदेश तथा उनके नाम पर,
शिंंगारे रामचंद्र महादेव, संयुक्त सचिव (शिक्षा)

DIRECTORATE OF EDUCATION: OLD SECRETARIAT: DELHI**NOTIFICATION**

Delhi, the 13th March, 2023

No. F. 4(354)/GOC/Edn./2014/3146-3155.— In exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) & (2) of Section 11 of the Delhi School Education Act, 1973 (18 of 1973), the Hon'ble Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to approve that the Principal Secretary (Law, Justice & Legislative Affairs) to look after the charge of the Presiding Officer, Delhi School Tribunal, till the time regular Presiding Officer is appointed.

This arrangement shall be valid whenever there is a vacancy of the Presiding Officer to Delhi School Tribunal.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

SHINGARE RAMCHANDRA MAHADEV, Jt. Secy. (EDUCATION)